

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 153531

पटना, दिनांक- 28/06/2013

ग्रा.वि.5/सा0आ0जन0(विजा0)-103-10/2012

प्रेषक,

संजय कृष्ण  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन एवं दावा/ आपत्ति चरण के प्रचार-प्रसार के संबंध में ।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के प्रारूप प्रकाशन के साथ दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया की जानकारी को प्रचारित करने की आवश्यकता है । उक्त कार्य हेतु, प्रखंड/ चार्ज केन्द्रों एवं ग्राम पंचायतों स्तर पर दीवार लेखन के माध्यम से जानकारी प्रचारित करने हेतु सामग्री (Contents) संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त सामग्री का उपयोग करते हुये प्रखंड/ चार्ज केन्द्रों एवं पंचायत स्तर पर दीवार लेखन का कार्य एक सप्ताह के अंदर कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन


  
(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक- 153531

पटना, दिनांक- 28/6/13

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी

**सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)-11 के प्रचार-प्रसार हेतु दीवार लेखन सामग्री**

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)- 2011 का कार्य पूरे राज्य में प्रगति पर है ।
2. इसी सर्वेक्षण से राज्य के परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान किया जाएगा जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान का आधार होगा ।
3. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुँचाना है । इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी कल्याणकारी योजना का लाभ सुपात्र लाभार्थियों को पहुँचे तथा अपात्र लाभार्थी इसका लाभ नहीं ले पाएं ।
4. सर्वेक्षण का कार्य समाप्ति पर है तथा सर्वेक्षित परिवारों की सूची का प्रारूप पंचायत, प्रखंड, अन्य सार्वजनिक स्थल एवं वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा । जिला को इकाई मानते हुए सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के तहत सर्वेक्षित परिवारों की सूची का प्रारूप प्रकाशन की तिथि को विभिन्न चरणों की गणना हेतु Day 1 माना जाएगा ।
5. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रारूप प्रकाशन के बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर सर्वेक्षित सूची के मसौदा की जाँच हेतु ग्राम सभा आहूत की जाएगी ।
6. कोई भी व्यक्ति प्रारूप प्रकाशन में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पर निर्धारित समय सीमा के अंदर नामित/ प्राधिकृत पदाधिकारी के पास विहित प्रपत्र 'क' 'ख' एवं 'ग' में आवश्यकतानुसार दावा/ आपत्ति दायर कर सकता है । विदित हो कि एक व्यक्ति द्वारा थोक (Bulk)/ समूह में दावा/ आपत्ति नहीं दिया जा सकता है ।
  - 6.1. प्रपत्र 'क' में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-11 के तहत सूची में जोड़े गये नाम पर आपत्ति होने पर आपत्ति दर्ज किया जाएगा ।
  - 6.2. प्रपत्र 'ख' में सर्वेक्षित सूची में अंकित विशिष्टियों में किसी प्रकार के सुधार हेतु दावा/ आपत्ति दर्ज किया जाएगा ।
  - 6.3. प्रपत्र 'ग' में वैसे व्यक्ति, जो सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-11 के तहत हो रहे सर्वेक्षण के समय अपने सामान्य निवास स्थान पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं थे, द्वारा दावा/ आपत्ति दर्ज किया जाएगा ।
7. प्राप्त दावा/ आपत्ति को जिला पदाधिकारी द्वारा नामित/ प्राधिकृत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा ।



8. प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर जिला पदाधिकारी द्वारा नामित/ प्राधिकृत जिला स्तरीय अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ प्रखंड स्तरीय प्राधिकृत पदाधिकारी के फैसले के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। जिला स्तरीय प्राधिकृत पदाधिकारी अपीलीय आवेदन पर निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनवाई कर अपीलीय आवेदन का निस्तारण करेंगे।
9. अतः सर्वसाधारण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना- 2011 के प्रकाशित प्रारूप के मसौदे की जाँच हेतु आहुत ग्राम सभा में बड़ चढ़कर हिस्सा ले तथा व्यक्तिगत तौर पर भी मसौदे के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों पर विहित प्रपत्र में विहित प्रक्रियानुसार दावा/ आपत्ति दर्ज कर यथार्थ एवं स्वच्छ सूची के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान समर्पित करें। आप का यह सार्थक प्रयास समाज के सुपात्र लाभार्थी को लाभ पहुँचाने एवं अपात्र लाभार्थी को अवैध लाभ प्राप्त करने से वंचित करने में मील का पत्थर साबित होगा।
10. इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिये प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कोषांग से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
11. प्रारूप प्रकाशन एवं दावा/ आपत्ति संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु विहित समय सीमा के साथ कार्यक्रम का प्रकाशन बाद में ससमय किया जाएगा। यह सूचना अग्रिम जानकारी हेतु जनहित में जारी की जा रही है।
12. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के संबंध में और अधिक जानकारी SECC की वेबसाईट <http://rural.nic.in/sites/BPL-census-2011.asp> से प्राप्त कर सकते हैं।

निवेदक

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार, पटना।